न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या–94 /2012–2013

लोटस शिक्षण संस्थान द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी देवेन्द्र बुगलिया

बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

मौजा कोसीखुर्द

संशोधित आदेश

प्रार्थी लोटस शिक्षण संस्थान द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी देवेन्द्र बुगलिया पुत्र जी0एल0बुगलिया नि0 बी–11 नित्यानंद नगर गॉधीपथ क्वीन्स रोड जयपुर(राजस्थान), के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक–2.2.2013 व 21.9.2013 में अंकित किया गया है कि वह मौजा कोसीखुर्द तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–545 खसरा संख्या–363मि. रकवा 0.26947हे.,भूराजस्व 60ख के अनुसार के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक–5.2.2013 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा कोसीखुर्द तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–545 खसरा संख्या–363मि. रकवा 0.26947हे.,भूराजस्व 60 ख के अनुसार के लोटस शिक्षण संस्थान द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी देवेन्द्र बुगलिया पुत्र जी0एल0बुगलिया नि0 बी–11 नित्यानंद नगर गॉधीपथ क्वीन्स रोड जयपुर(राजस्थान) संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन कुक्कुटपालन व पशुपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। प्रश्नगत भूमि आवास विकास परिषद, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक–5.2.2013 के आधार पर वह मौजा कोसीखुर्द तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या–545 खसरा संख्या–363मि. रकवा 0.26947हे.,भूराजस्व 60ख के अनुसार को जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्त नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार, मथुरा की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखो में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल-दफ्तर होवे।

दिनांक– 27/9/13

(रमेश चन्द्र)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

27/9/13

(रमेश चन्द्र)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

Scanned with CamScanner